जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 33/2021

प्रविष्टि दिनांक 24.03.2021

बजरंगा पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी लसाडिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

वनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 12.01.2021 मिसल नम्बर 75/2020

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 388 रकवा 0.35 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान व मसूर की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 140/रू. पेनल्टी कायम कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलवी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का दोहरात हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय [illegible] को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया दिया गया है [illegible] द्वारा उक्त भूमि पर से वर्तमान मे अपना कब्जा हटा लिया [illegible] पटवारी हल्का [illegible] दुभावनापूर्वक अपीलांट के विरूद्व रिपोर्ट पेश की है। अपीलांट [illegible] अपील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 388 रकबा 0.35 है0,किस्म चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान एंव मसूर की फसल काश्त करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 3 माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से उसकी पत्नि की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 388 रकबा 0.35 है0, किस्म चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर एंव मसूर की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय हाजा में अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है। भविष्य मे उपरोक्त भूमि अथवा किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नही करूंगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे मकान का उल्लेख नही है। पत्रवली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोडना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 12.01.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:32 IST
Reason: SelfAttested